भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय जिला ग्वालियर

विविध 657-PBR-15

(9)

याचिका क्र. /2015

याचिकाकर्ता – श्रीमती सुनीता तोमर पत्नी श्री सतेन्द्र सिंह तोमर आयु–38वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य निवासी–559, सी0पी0कॉलोनी मुरार ग्वालियर

रेस्पोडेन्टस –1 न्यायालय अपर तहसीलदार उमेश कौरव न्यायालय टप्पा मुरार ग्वालियर

2. श्रीमती रीता बघेल पत्नी श्री जसवंत सिंह बघेल निवासी–आर.सी.एस.कॉन्वेट स्कूल महेन्द्र नगर बिरला नगर ग्वालियर

श्री के0कु0 चतुर्वेदी को द्वारा आज दि. 30-3-15 को प्रस्तुत
30-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

के.के चतुर्वेदी एडवोकेट

<u>रिट याचिका धारा 8 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रतिषेध उत्प्रेषण, नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को प्रचलित किये जाने का एवं उचित आदेश, निर्देश एवं याचिका के स्वत्व दिये जाने बावत्</u>

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

1– याचिका का विवरण जिसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की जा रही है –

अ– **आदेश दिनांक** – 30.02.2015, 28.02.2015, 04.03.2015

ब– **प्रकरण क्रमांक** – 42/14–15 अ–6 श्रीमती सुनीता बनाम रीता बघेल आदि

687
राहुल तिवारी
शपथ आयुक्त
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
27/8/15

(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 657–पीबीआर / 15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–04–15	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0चतुर्वेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना व प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार न्यायालय वृत्त मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–2–15, 28–2–15 व 4–3–15 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अपील योग्य आदेश है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	